राष्ट्र की सेवा में गौरवमयी 251 वर्ष

Glorious 251 Years Service To The Nation

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

13 वुड स्ट्रीट
कोलकाता-700016 (पश्चिम बंगाल)
13 Wood Street,
Kolkata-700016 (West Bengal)
फैक्स/Fax: 033 - 22879038
दूरभाष/Telephone: 033-22875732/33
ई-मेल/e-Mail : wbs.gdc.soi@gov.in

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA
पश्चिम बंगाल एवम् सिक्किम
भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र
W.B. & SIKKIM. GEO-SPATIAL DATA CENTRE
कोलकाता
Kolkata

सं. No. E/A- /37-G-20 दिनांक Dated : अगस्त, 2018

कार्यालय आदेश सं. Office Order 47/37-G-20 दिनांक 30th अगस्त, 2018

इस कार्यालय के दिनांक 27.08.2018 के कार्यालय आदेश सं. 43/37-G-20 को अधिक्रमित करते हुए सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय वेतन एवम् लेखा कार्यालय, कोलकाता के पत्र सं. RPAO/SRV/Admn/Pension Adalat/2018-19/433 दिनांक 28 अगस्त, 2018 के आलोक में क्षेत्रीय वेतन एवम् लेखा कार्यालय, कोलकाता के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी कार्यालयों के लिए समेकित पेंशन अदालत का आयोजन दिनांक **18 सितम्बर, 2018** को प्रात: 11:00 बजे से अपराह्न 05 बजे के दौरान किया जाएगा। पेंशन अदालत का स्थल 13, वुड स्ट्रीट में स्थित इस कार्यालय का सभागार होगा। इसमें इस कार्यालय से जुड़े सभी पेंशनकर्ताओं की पेंशन शिकायतों के निवारण का प्रयास किया जाएगा।

वरिष्ठ लेखाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाले इस पेंशन अदालत में निम्नलिखित अधिकारी सम्मिलित रहेंगे जो पेंशन शिकायतों के त्वरित निष्पादन में सहयोग करेंगे-

1. श्री पिनाकी डे, वरिष्ठ लेखाधिकारी
2. श्री सुब्रतो चक्रबर्ती, स्थापना एवम् लेखाधिकारी
3. श्री बिश्वनाथ नाग, प्रभारी (लेखा अनुभाग)

सभी पेंशनकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी शिकायतों/तकलीफों (complaints/grievances) को पेंशन-अदालत में लाने से पूर्व कार्यालय में निम्नलिखित ई-मेल द्वारा सूचित करें ताकि सुनवाई (hearing) से पहले उनके मामलों का अध्ययन किया जा सके।

wbs.gdc.soi@gov.in

(संजय कुमार)
निदेशक
पश्चिम बंगाल व सिक्किम जीडीसी, कोलकाता

प्रतिलिपि:

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून। उनसे अनुरोध किया जाता है कि इस पेंशन अदालत के डी.ए.वी.पी. द्वारा तय दर पर हिन्दी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओ के एक-एक समाचार-पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रशासनिक संस्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।
2. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवम् लेखा कार्यालय, कोलकाता।
4. वेबसाईट एडमिन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
5. सभी एसोसिएशन के सचिव। आपसे अनुरोध है कि यदि आपके संज्ञान में किसी पेंशनकर्ता का कोई मामला लम्बित हो, तो उन्हें अपनी समस्या प्रेषित करने की सलाह दें और यदि इच्छुक हों तो पेंशन अदालत में आयें।
6. सभी अधीक्षक सर्वेक्षक/विंग प्रभारी/स्थापना एवम् लेखाधिकारी/तकनीकी अधिकारी/सहायक भण्डार अधिकारी/MRIS/अभिलेखपाल/प्रभारी, लेखा/प्रभारी, प्रशासन।
7. सूचना पटल।

शुभेश H:\GDC\SK\Files\Misc.doc